15/10/14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर

[illegible] जिला [illegible]

(6)

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 128/2015
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00293
किस्म दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए
निर्णय दिनांक 15.10.2024.

1. जी0 एस0 सोशियल वैलफेयर सोसायटी अलवर जरिए सचिव कलम सिंह चौधरी पुत्र गोली सिंह जाति जाट निवासी गुदावली तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम गुदावली तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री महेन्द्र मीणा एड (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए

1. यह कि जी0एस0 सोशियल वेलफेयर सोसायटी अलवर एक रजिस्टर्ड सोसायटी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 84/अलवर/2001–02 है। जिसका प्रार्थी सचिव है। उसकी तरफ से वाद पेश किया गया है।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 150 रकबा 0.16 है0, 151 रकबा 0.30 है0, 154 रकबा 0.23 है0 किता 3 कुल रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई पर स्थित है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाहिस्सा बराबर रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है।
4. यह कि विवादित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी में से मौके पर बाहिस्सा बराबर

15/10/24

काश्त कर रहे हैं परन्तु विवादित आराजी में से खसरा नंबर 151 रकबा 0.30 है0 के आधे भू–भाग के सामने सरकारी रकबा खसरा नंबर 152 में भूतपूर्व सैनिक शहीद का स्मारक बना हुआ है जिसके प्रतिवादी संख्या 1 का पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 जबरदस्त व्यक्ति होने के कारण विवादित आराजी में से खसरा नंबर 151 को जबरन वादी को बंटवारा में देने की नाजायज हरकत करते रहते हैं। तथा अच्छे खसरा नंबर 154 व 150 जो नदबई से हलैना वाली सडक पर है। जबरन कब्जा करने की नाजायज हरकत करते रहते हैं। जबकि नियमानुसार खसरा नंबर 151 का करीब आधा भू–भाग जो भूतपूर्व सैनिक शहीद के पीछे का है। वादी एवं प्रतिवादी 1 के मध्य समान रूप से विभाजन होना चाहिए, शेष आराजी का भी बाहिस्सा बसंदर हिस्सा होना है तथा इसी अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज चले आ रहे हैं। इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ शामिल काश्त करना संभव नहीं है। अतः वादी विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी नियमानुसार बंटवारा कराने हेतु प्रांरभिक डिक्री करा पाने का अधिकारी है। तथा कुर्रा प्राप्त होने के उपरांत कुर्रा के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करा पाने का अधिकारी है।

5. यह है कि विवादित आराजी का कानूनी बंटवारा न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 17.08.2015 को अपने पति के साथ जबरन लठ्ठ के बल पर विवादित आराजी में से खसरा नंबर 150, 151 पर धमकी दी है। वादी को खसरा नंबरान जबरन लठ्ठ के बल पर बेदखल करने की धमकी दी है। अतः वादी प्रतिवादी को वादी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करने हेतु हुक्त इम्तनाई डिक्री से पाबंद कराने का अधिकारी है।
6. यह है कि विवादित आराजी जो वादपत्र की मद संख्या 2 में अंकित है, का नियमानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु प्रांरभिक डिक्री जारी की जावे तथा कुरे प्राप्त होने के उपरांत कुर्रे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित किये जाने हेतु अंतिम डिक्री पारित की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री फूलसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेष के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि मद संख्या 1 वादपत्र वादी की जानकारी से संबंधित है।

15/10/24

(10)

2. यह कि मद संख्या 2 वादपत्र रिकॉर्ड से संबंधित होना स्वीकार है।
3. यह कि मद संख्या 3 वादपत्र रिकॉर्ड से संबंधित है।
4. यह कि मद सं. 4 मुताबिक वादी व प्रतिवादी सं. 1 आपस में पूर्व से ही बटवारा हो रहा है एवं उसी अनुरूप काबिज हैं। विवादित आराजी में से आपस में आधा–आधा कर रखा है जिसके अनुरूप वादी खसरा न. 151 रकवा 0.30 है. के अलावा दोनों खसरा नम्बरान 151 व 154 में से 0.05 है. भूमि लेकर उक्त खसरा न. 151 में मिलाकर पूर्व से काश्त करता चला आ रहा है, शेष खसरा न. 150 व 154 कुल रकवा 0.34 है. प्रतिवादी के कब्जे काश्त में चला आ रहा है तथा दोनों पक्ष वक्त खरीद से ही काबिज हैं इसके अलावा वादी के कब्जेकाश्त के खसरा न. 151 के सामने 152 सिवायचक खाली पडा था, उसे भी वादी ने अपने हिस्से के खसरा न. 151 में मिला रखा है, लेकिन शहीद की प्रतिमा उक्त खसरा न. 152 में बन जाने के कारण अब वादी के मन में वद्यान्ति आ गई है, जबकि खसरा न. 154 में प्रतिवादी द्वारा गांव से पाईपलाईन भी आ रही है, जिससे प्रतिवादी के दोनों खेतों की सिचाई हो रही है, पीछे का खसरा न. 149 भी प्रतिवादी के हिस्से का है। वादी प्रतिवादी वाहिस्सा बराबर मौके पर बटवारा कर रखा उसी अनुरूप बटवारा किया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।
5. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2070–73 वाके ग्राम भौसींगा एवं नकल नक्शा ट्रेस वाके ग्राम भौसींगा पेश की गई। बयान के रूप में वादी कमलसिंह के बयान जिनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।
6. वकील प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब के समर्थन में दस्तावेजी के रूप में नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 04.11.2015 एवं नक्शा हाल वाके ग्राम भौसींगा पेश की गई तथा मौखिक बयान के रूप में किसी प्रकार का शपथपत्र पेश नही किया गया।
7. उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस बाद प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाद वादी प्रारंभिक डिक्री दिनांक 26.03.2024 को किया जाकर वादपत्र मे दर्ज विवादित आराजीयात की बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात मंगवाए जाने हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया गया तथा तहसीलदार नदबई को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय के आदेश क्रमांक 356 दिनांक 16.04.2024 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 14.05.2024 जरिए पत्रांक

15/10/24

(11)

एलआर/24/1679 दिनांक 15.05.2024 से भिजवाए गए। एवं कुरेजात प्रस्ताव पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

उक्त तहसीलदार नदबई द्वारा कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 14.05.2024 जो कि पत्रांक 1679 दिनांक 15.05.2024 से भिजवाए गए पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश किया गया उक्त आपत्ति पेश की गई। जिस पर बहस सुनी गई तथा उक्त कुर्रा प्रस्ताव के अवलोकन से जाहिर हुआ कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा कुर्रे मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये न ही कब्जेकाश्त अनुसार बनाकर भिजवाये गये हैं साथ ही कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर एक जगह तो दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं करने की बात की गई एवं दूसरी जगह वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर भी हो रखे हैं एवं दोनों रिपोर्ट भी अलग–अलग स्याही के पेन से की गई है तथा वादी स्वयं ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर अपने फर्जी हस्ताक्षर वाली बात भी कही है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रतिवादी की स्वीकार की जाकर पुनः तहसीलदार नदबई से कुर्रा रिपोर्ट मंगवाए जाने हेतु आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा पुनः कुर्रा रिपोर्ट प्रस्ताव दिनांक 05.09.24 अपने पत्रांक 3814 दिनांक 05.09.2024 से भिजवाई गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रा रिपोर्ट नियत की गई।

उक्त कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 05.09.2024 पर कुर्रा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17.09.2024 पेश की गई जिस पर जबाव आपत्ति कुर्रेजात दिनांक 19.09.24 को वादी द्वारा पेश किया गया। वास्ते बहस कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.24 नियत की गई।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस दौरान निवेदन किया कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट जो तैयार की गई है वह बिना पक्षकारों को सुने तथा बिना मौका रिपोर्ट देखे पटवारी एवं गिरदावर के आधार पर तहसीलदार नदबई द्वारा सत्यापित किया है तथा मेरे द्वारा वादपत्र खसरा नंबर 150, 151, 154 बाबत् पेश किया गया है। पूर्व कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 15.05.24 की रिपोर्ट में खसरा नंबर 150 व 154 वादी के कब्जेकाश्त में रहे हैं जिस पर वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं तथा खसरा नंबर 152 में शहीद स्मारक बना हुआ है तथा पूर्व रिपोर्ट में भी दर्ज था परन्तु उक्त कुर्रा रिपोर्ट में अब दर्ज नहीं है। पूर्व में जो कुर्रा रिपोर्ट पेश की गई वो सही एवं मौका रिपोर्ट अनुसार बनाई गई थी। खसरा नंबर 154 पर मेरा कब्जाकाश्त है तथा इसके सहारे लगे हुए खसरे नंबर भी मेरे हैं। पूर्व में भी वादी उपस्थित था। कुर्रा रिपोर्ट कब्जे एवं मौके के विपरीत बनाई गई अतः आपत्ति स्वीकार की जाकर पुनः कुर्रा रिपोर्ट मंगवाई जावे।

15/10/24

वकील वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौरान बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 150 व 151 व 154 वाके ग्राम भौसींगा पर स्थित है, मौके पर भौतिक कब्जेअनुसार तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्रा रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई है तथा सभी पक्षकारों को सूचित करते हुए मौके पर जाकर उक्त कुर्रा रिपोर्ट तैयार की गई है तथा प्रतिवादी ने कुर्रा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया है तथा उक्त खसरा नंबरान के नक्शा एवं मौके के अनुरूप विधिवत रूप से तैयार कर भिजवाए गए हैं। खसरा नंबर 154 में भी वादी एवं हमारा भी सिंचाई हेतु अंडरग्राउण्ड पाईप लाईन डली हुई है। पूर्व कुर्रा रिपोर्ट में भी दोनों पक्षकारों को बराबर हिस्से की आराजी दी गई है तथा वादीगण को दक्षिण कुर्रे आपत्ति के बिन्दु 5 में भी प्रतिवादी को भी उत्तर एवं वादी को दक्षिण में देना उचित बताया है एवं 05.09.24 को उसी अनुरूप कुर्रे रिपोर्ट आई है। उक्त कुर्रा रिपोर्ट पर वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं तथा कुर्रा रिपोर्ट मुताबिक मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बनाए गए हैं। अतः इनका एतराज कुर्रा रिपोर्ट खारिज करते हुए मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जावे।

हमने उभयपक्षकारान की विद्वान अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार नदबई द्वारा जो कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 05.09.24 जो कि पत्रांक 3814 दिनांक 05.09.24 से भिजवाई गई का अवलोकन किया तो पाया कि कुरेजात प्रस्ताव मौके पर जाकर पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए मौके के अनुसार तैयार कर भिजवाई गई है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाकर मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 05.09.24 के अनुसार ही डिक्री किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः आदेश है कि वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नंबर 150 रकबा 0.16 है0, 151 रकबा 0.30 है0, 154 रकबा 0.23 है0 किता 3 कुल रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई पर स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 05.09.24 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 05.09.24 (प्रदर्श—अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 05. 09.24 प्रदर्श—"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

15/10/24

तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

निर्णय आज दिनांक ......15.10.2024.. को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

15/10/24

(गगांधर मीना)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर,नदबई